THE UTTAR PRADESH EXCISE (AMENDMENT AND VALIDATION) ACT, 1970

(U. P. ACT NO. 7 OF 1970)

*[*Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Excise (Sanshodhan Tatha Vaidhikaran) Adhiniyam*, 1970].

AN

ACT

further to amend the U. P. Excise Act, 1910 *and to validate certain actions taken thereunder*

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Excise (Amendment and Validation) Act, 1970. Short title.

2. Section 28 of the U. P. Excise Act, 1910 (hereinafter called the principal Act), shall be re-numbered and be deemed always to have been re-numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-sections shall be *inserted* and be deemed always to have been *inserted*, namely:— Amendment of section 28.

"(2) The State Government shall, in imposing an excise duty or a countervailing duty as aforesaid and in fixing its rate, be guided by the directive principles specified in Articls 47 of the Constitution of India.

(3) Such duty shall not exceed the maximum as provided hereinafter :—

(*a*) Countervailing duty on excisable articles imported in accordance with the provisions of section 12(1) :—

Item no.	Description of excisable article	Maximum rate of duty
		Rs.
1	Country liquor (excepting *tari*)	20 per litre.
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India ; and rectified spirit—	
	(*a*) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	2 per litre.
	(*b*) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	15 per litre.
	(*c*) Wines	8 per litre.
	(*d*) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines) ...	70 per litre.
	(*e*) Brandy, gin, whisky, rum, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified ..	60 per litre of alcohol.
3	Ganja	300 per kg.
4	Bhang	14 per kg.

(*b*) Excise or countervailing duty on excisable articles exported in accordance with the provisions of section 13 :—

*(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated March 3, 1970.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 11, 1970 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on March 20, 1970).

(Received the Assent of the Governor on March 31, 1970 under Article 200, of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 1, 1970.)

Price 05 Paise.

Item no.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
		Rs.
1	Country liquor (excepting *tari* and other fermented alcoholic beverages)	0.70 paise per litre of alcohol.
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India (excepting beer) . ..	0.70 paise per litre of alcohol.
3	Beer brewed in India	0.20 paise per litre.
4	Ganja	150.00 per kg.
5	Bhang	4.00 per kg.

(*c*) Excise or countervailing duty on excisable articles transported :—

Item no.	Description of excisable article	Maximum rate of duty
		Rs.
1	Country liquor (excepting *tari*)	20 per litre.
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India ; and rectified spirit—	
	(*a*) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	2 per litre.
	(*b*) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	15 per litre.
	(*c*) Wines	8 per litre.
	(*d*) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines) ..	70 per litre.
	(*e*) Brandy, gin, whisky, rum, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified ...	60 per litre of alcohol.
3	Ganja	300 per kg.
4	Bhang	14 per kg.

(*d*) Excise duty on excisable articles manufactured, cultivated or collected under any licence granted under section 17—

Item no.	Description of excisable article	Maximum rate of duty
		Rs.
1	Country liquor (excepting *tari*)	20 per litre.
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India ; and rectified spirit—	
	(*a*) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	2 per litre.
	(*b*) Perfumed spirit (other than medicinal and toliet preparations)	15 per litre.
	(*c*) Wines	8 per litre.
	(*d*) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise specified (other than drugs and medicines)	70 per litre.
	(*e*) Brandy, gin, whisky, rum, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise pecified .:	60 per litre of alcohol.
3	Ganja	300 per kg.
4	Bhang	14 per kg.

(*e*) Excise duty on excisable articles manufactured in any distillery established, or any distillery or brewery licensed, under section 18—

Item no.	Description of excisable articles	Maximum rate of duty
		Rs.
1	Country liquor (excepting *tari* and other fermented alcoholic beverages)	20 per litre.
2	Liquor manufactured in India and sophisticated or coloured so as to resemble in flavour or colour liquor imported into India ; and rectified spirit—	
	(*a*) Ale, beer, porter, cider and other fermented liquors	2 per litre.
	(*b*) Perfumed spirit (other than medicinal and toilet preparations)	15 per litre.
	(*c*) Wines	8 per litre.
	(*d*) Liquors, cordials, mixtures and other preparations containing spirit not otherwise spcified (other than drugs and medicines)	70 per litre.
	(*e*) Brandy, gin, whisky, rum, rectified spirit and other sorts of spirit not otherwise specified ..	60 per litre of alcohol."

3. In section 46 of the principal Act, for the second sentence the following sentence shall be *substituted* and be deemed always to have been *substituted*, namely:— Amendment of section 46.

"Such duty shall be levied by a tax on each tree tapped or from which *tari* is drawn, and its rate shall be fixed having due regard to the principles specified in sub-section (2) of section 28 and shall not exceed sixty rupees for a year or part thereof per tree."

4. Notwithstanding, anything contained in any judgment, decree or order of any Court or other authority to the contrary, any imposition, levy or collection of any duty made or purporting to have been made, and any action or thing taken or done in relation thereto, under the provisions of the principal Acts before the commencement of this Act including, in particular, any direction or notification issued or purporting to have been issued under section 28 or section 46 of the principal Act, shall be deemed to be, and to have always been valid and effective as if such imposition, leavy or collection had been made or action or thing had been taken or done under the principal Act as amended by this Act, and accordingly ; Validation.

(*a*) all acts, proceedings or things done or taken by the State Government or by any officer of that Government or by any other authority in connection with the imposition, levy or collection of such duty shall, for all purposes, be deemed to be and to have always been, done or taken in accordance with the law,

(*b*) no suit or other proceedings shall be entertained or continued in any Court or before any authority for the refund of any such duty, and

(*c*) no Court shall enforce any decree or order directing the refund of any such duty.

5. The Uttar Pradesh Excise (Amendment and Validation) Ordinance, 1969, is hereby repealed. Repeal of U.P. Ordinance no. VIII of 1969.

PSUP—A.P. 63 Genl. (Leg.)—1970—1859+50. (M).

उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 7, 1970)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 11 मार्च, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 20 मार्च, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 31 मार्च, 1970 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 1 अप्रैल, 1970 ई० प्रकाशित हुआ।]

यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 का अग्रेतर संशोधन करने के लिये, और तदधीन किये गये कतिपय कृत्यों का वैधीकरण करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अधिनियम, 1970 कहलायेगा। संक्षिप्त नाम

2—यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 28 की संख्या बदलकर उसे उसकी उपधारा (1) कर दी जाय और सदैव से पुनः संख्यांकित समझी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायें और सदैव से बढ़ायी गयी समझी जायें, अर्थात्— धारा 28 का संशोधन

"(2) राज्य सरकार, उपर्युक्त उत्पाद-शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) या प्रति-शुल्क (काउन्टरवेलिंग ड्यूटी) आरोपित करने में और उसकी दर निश्चित करने में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 में निर्दिष्ट निदेशक तत्वों का अनुसरण करेगी।

(3) ऐसा शुल्क एतद्पश्चात् उल्लिखित सीमा से अधिक नहीं होगा :

(ए) धारा 12 (1) के उपबन्धों के अनुसार आयात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर प्रति-शुल्क—

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	20 रुपये प्रति लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो ; और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	2 रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा रासायनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)।	15 रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	8 रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधियों तथा सेन्टों को छोड़कर)।	70 रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	60 रुपये प्रति लीटर अलकोहल
3	गांजा	.. 300 रुपये प्रति कि० ग्रा०
4	भांग	.. 14 रुपये प्रति कि० ग्रा०

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 3 मार्च, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

(बी) धारा 13 के उपबन्धों के अनुसार निर्यात किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क—

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अलकोहलिक पेय को छोड़कर)।	0.70 पैसे प्रति लीटर अलकोहल
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो (बियर को छोड़कर)।	0.70 पैसे प्रति लीटर अलकोहल
3	भारत में यवासवित बियर	0.20 पैसे प्रति लीटर
4	गांजा	150 रुपये प्रति कि० ग्रा०
5	भांग	4 रुपये प्रति कि० ग्रा०

(सी) परिवहन किये गये उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क या प्रति-शुल्क—

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर) ..	20 रुपये प्रति लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो; और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	2 रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)।	15 रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	8 रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)।	70 रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	60 रुपये प्रति लीटर अलकोहल
3	गांजा	300 रुपये प्रति कि०ग्रा०
4	भांग	14 रुपये प्रति कि०ग्रा०

(डी) धारा 17 के अधीन दिये गये किसी लाइसेंस के अन्तर्गत निर्मित, कर्षित या संगृहीत उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क—

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी को छोड़कर)	20 रुपये प्रति लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश्य मालूम हो; और शोधित स्प्रिट—	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	2 रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर)।	15 रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	8 रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर)।	70 रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।	60 रुपये प्रति लीटर अलकोहल
3	गांजा	300 रुपये प्रति किलो ग्राम
4	भांग	14 रुपये प्रति किलो ग्राम

(ई) धारा 18 के अधीन स्थापित किसी आसवनी या लाइसेंस प्राप्त किसी आसवनी या यवासवनी में निर्मित उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थों पर उत्पाद-शुल्क--

मद-संख्या	उत्पाद-शुल्कारोप्य पदार्थ का विवरण	शुल्क की अधिकतम दर
1	देशी शराब (ताड़ी तथा अन्य किण्वित अल्कोहलिक पेय को छोड़कर) ।	20 रुपये प्रति लीटर
2	भारत में निर्मित और इस प्रकार परिष्कृत या रंजित शराब जिससे कि वह सुस्वाद या रंग में भारत में आयातित शराब के सदृश मालूम हो ; और शोधित स्प्रिट---	
	(ए) एल, बियर, पोर्टर, साइडर तथा अन्य किण्वित शराब	2 रुपये प्रति लीटर
	(बी) सुगन्धित स्प्रिट (औषधीय तथा प्रसाधनिक विनिर्मितियों को छोड़कर) ।	15 रुपये प्रति लीटर
	(सी) वाइन	8 रुपये प्रति लीटर
	(डी) शराब, कार्डियल्स, मिश्रण तथा अन्य विनिर्मितियां जिनमें स्प्रिट हो किन्तु जिनका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो (औषधि तथा भेषज को छोड़कर) ।	70 रुपये प्रति लीटर
	(ई) ब्रांडी, जिन, ह्विस्की, रम, शोधित स्प्रिट और अन्य प्रकार की ऐसी स्प्रिट जिसका अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।"	60 रुपये प्रति लीटर अलकोहल

धारा 46 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 46 में द्वितीय वाक्य के स्थान पर निम्न-लिखित वाक्य रख दिया जाय और सदैव से रखा गया समझा जाय, अर्थात्---

"ऐसा शुल्क प्रत्येक छिद्रित वृक्ष पर या उस वृक्ष पर जिससे ताड़ी निकाली जाय, कर द्वारा लगाया जायगा, और इसकी दर धारा 28 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को ध्यान में रखते हुये निश्चित की जायगी और प्रति वृक्ष एक वर्ष या उसके भाग के लिये साठ रुपये से अधिक न होगा ।"

वैधीकरण

4—किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में निहित किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व मूल अधिनियम के अधीन किसी शुल्क का आरोपण, लगाया जाना या वसूल किया जाना या तात्पयित आरोपण लगाया जाना या वसूल किया जाना, व उसके संबंध में किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत, विशेषतया, मूल अधिनियम की धारा 28 या धारा 46 के अधीन जारी किया गया या की गयी या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई अधिसूचना भी शामिल है, वैध तथा प्रभावी समझे जायेंगे, व सदैव से वैध तथा प्रभावी समझे जायंगे, मानो ऐसा आरोपण, लगाया जाना या वसूल किया जाना, अथवा ऐसा कार्य या कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किया गया हो या की गयी हो, और तदनुसार---

(क) ऐसा शुल्क आरोपित करने, लगाने या वसूल करने के संबंध में राज्य सरकार या उसके किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किये गये सभी कृत्य, की गयी सभी कार्यवाहियां या किये गये सभी कार्य, सभी प्रयोजनों के लिये, विधि के अनुसार किये गये समझे जायेंगे और सदैव से समझे जायेंगे;

(ख) किसी ऐसे शुल्क के प्रतिदान के लिये किसी न्यायालय में, या किसी प्राधिकारी के समक्ष, कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां न तो ली जायंगी और न जारी रखी जायंगी; और

(ग) कोई भी न्यायालय कोई ऐसी डिक्री या आदेश, जिसमें किसी ऐसे शुल्क क प्रतिदान का निर्देश किया गया हो, लागू नहीं करेगा ।

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 8, 1969 का निरसन

5—उत्तर प्रदेश एक्साइज (संशोधन तथा वैधीकरण) अध्यादेश, 1969 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 62 जनरल (लेज)—1970—1834+50 (मे०) ।